

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:- प.1/प्रति.4/वरि.सहा./पदो/2017/2319-23

दिनांक:- 14-2-18

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 13.12.17 की अनुशंसा के आधार पर संबंधित कार्मिक के बकाया गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने से उक्त नियमों के नियम 33 के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक को वरिष्ठ सहायक के पद पर पे मेट्रिक्स लेवल-8 में उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष की रिक्ति के प्रति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ सहायक	संवर्ग	चयन वर्ष	रिक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1	श्री कृष्ण कान्त शर्मा	सामान्य	2017-18	01.08.17	व्यवस्थापक, राज0 आयु0 रसा0 भरतपुर

नोट:- उक्त कार्मिक वर्तमान में कार्यरत स्थान पर ही पदोन्नति पद पर 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण करेंगे। अन्यथा पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। इस पदोन्नत कार्मिक के पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथकसे जारी किये जावेंगे।


  
(स्नेहलता पंवार)  
निदेशक

क्रमांक:- प.1/प्रति.4/वरि.सहा./पदो/2017/2319-23

दिनांक:- 14-2-18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग जयपुर
- 2- निजी सहायक, निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर
- 3- अति. निदेशक, रसायनशालाएँ अजमेर
- 4- व्यवस्थापक, राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला भरतपुर
- 5- संबंधित कार्मिक
- 6- सामान्य पत्रावली

  
अजमेर आयुर्वेद निदेशालय के विभागीय  
वेवसाईरपत्रअपलोड हेतु।

  
अति.निदेशक(आयु)